

## न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :- 71/2018

(आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00115)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज ————— प्रार्थी।

### बनाम

1. तरुण कुमार पुत्र कान्ती प्रसाद जाति वैश्य निवासी चौपडा मन्दिर के पीछे धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ————— अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए  
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955


### उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से :- श्री दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी की ओर से :- श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 17.12.2018

### निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मुखबिर खास ने इत्तला दी कि इलाका थाना निहालगंज में भावना इलैक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सेन्टर संतर रोड धौलपुर पर अप्रार्थी अवैध रूप से बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग कर जनता को बेच रहा है। इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय स्टाफ व सहायक उप निरीक्षक मंगतराम थाना निहालगंज के दुकान पर पहुँचे। दुकान पर अप्रार्थी मौजूद मिला तथा छोटे सिलेण्डर गैस भरकर बेचता हुआ पाया गया। निरीक्षण में तीन सिलेण्डर बड़े व चार सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर छोटा बीच में से फूटा हुआ व दो सिलेण्डर बड़े खाली व एक सिलेण्डर बड़ा भरा हुआ मिला व एक सिलेण्डर गैस की रोशनी के मिले व दो छोटे सिलेण्डर खाली मिले दुकानदार अप्रार्थी से बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने बावत पूछा गया तो बताया कि वह बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एल पी जी गैस भरकर बेचता है। गैस बेचने व रखने का लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर मुताबिक फर्द जब्ती मौके से तीन सिलेण्डर बड़े व चार सिलेण्डर छोटे अप्रार्थी से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। अप्रार्थी को गिरफ्तार किया गया।

  
(नन्मल पहाडिया)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



अप्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 112/2005 बदफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर तफतीश भगवान सिंह उप निरी. ने की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहान लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया दौराने तफतीश अप्रार्थी ने स्वेच्छा से धारा 27 ई सी एक्ट की इतला से एक रिफिल बरामद की तथा कोई भी लाईसेन्स व अन्य कागजात नहीं होना बताया जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफ्तारी मुलजिम फर्द इतला मुलजिम व प्राप्त शुदा रिपोर्टो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6-7 का उल्लंघन करना पाया गया जो धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट में दण्डनीय है। धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने चार्टशीट नम्बर 96/05 दिनांक 31.7.2005 किता की जाकर चालान न्यायालय सी जे एम धौलपुर में पेश किया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2.6.2017 को निर्णय कर अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी का प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुआ है। जिन सिलेण्डर जब्त करना प्रकरण में बताया है उनको पूर्व में धारा 6 ए ई सी एक्ट के तहत सिलेण्डर प्रदान किये जा चुके है। यदि कोई और सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा जब्त होना बताया है तो अप्रार्थी को पता नहीं और न्यायालय उन्हें राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी का कोई एतराज नहीं है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं है यदि उन्हें राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 4.1.2018 की प्रति, फर्द जप्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिपोर्ट 31.7.2005 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 2.6.2017 की फोटो प्रति, पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अवैध रूप से बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग कर जनता को बेचता है । दुकान पर अप्रार्थी मौजूद मिला तथा छोटे सिलेण्डर गैस भरकर बेचता हुआ पाया गया । निरीक्षण में तीन सिलेण्डर बड़े व चार सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर छोटा बीच में से फूटा हुआ व दो सिलेण्डर बड़े खाली व एक सिलेण्डर बड़ा भरा हुआ मिला व एक सिलेण्डर गैस की रोशनी के मिले व दो छोटे सिलेण्डर खाली मिले अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने

(नन्मल फहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



बावत पूछा गया तो बताया कि वह बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एल पी जी गैस भरकर बेचता है। गैस बेचने व रखने का लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर मुताबिक फर्द जब्ती मौके से तीन सिलेण्डर बड़े व चार सिलेण्डर छोटे अप्रार्थी से जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेंस बावत पूछा गया तो कोई लाईसेंस नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफ्तारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिपोर्टो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6-7 का उल्लंघन करना पाया गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है। यदि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सिलेण्डर जब्त होना बताया है तो अप्रार्थी को पता नहीं और न्यायालय उन्हें राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी का कोई एतराज/ आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग कर जनता को बेचता है। अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में तीन बड़े सिलेण्डर व चार छोटे सिलेण्डर पाये गये जो अप्रार्थी के ही हैं। अप्रार्थी बिना लाईसेंसी अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरता पाया गया अतः अप्रार्थी का यह कहना कि जब्तशुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं सिद्ध नहीं होता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के ही हैं। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा तीन सिलेण्डर बड़े व चार सिलेण्डर छोटे को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्युलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्युलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्युलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही


(नन्मल पहाड़िया)  
जिला कलक्टर  
झोलपुर



करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते हैं कि वह जब शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( एन. एम. पहाडिया )  
जिला कलेक्टर धौलपुर  
जिला कलेक्टर  
धौलपुर